संख्या- 59/2025/241/2025/27-2002/3/2025-2-Part(1)

प्रेषक,

आलोक कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 **लखनऊ :: दिनांक 20 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में नाबार्ड पोषित मद के अन्तर्गत 28 अदद् नई परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्रांक-211/काप्रअ/अनिबामं/यू-10बी-1प्र, दिनांक 24.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की नाबार्ड से वित्त पोषण किये जाने की प्रत्याशा में कुल 28 अदद् नई परियोजनाओं की कुल लागत रूपये 1,19,14,16,000.00 (रूपये एक अरब उन्नीस करोड़ चौदह लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-23-नदी में सुधार व कटान निरोधक योजनाएं (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत बजट व्यवस्था एकमुश्त (नई श्रेणी) की अवशेष धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 30,12,89,000.00 (रूपये तीस करोड़ बारह लाख नवासी हजार मात्र) एवं लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास-103-सिविल निर्माण कार्य-07-जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था एकमुश्त (नई श्रेणी) की अवशेष धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में रूपये 4,55,89,000.00 (रूपये चार करोड़ पचपन लाख नवासी हजार मात्र) अर्थात कुल रूपये 34,68,78,000.00 (रूपये चौंतीस करोड़ अड़सठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	मण्डल का नाम	संगठन का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	स्थाई संचालन समिति का संदर्भ	स्वीकृत धनराशि (एकमुश्त नई से)
1	2	3	4	5	6	7	8
94-4711-01-103-23-24 नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (नाबार्ड पोषित)							
1	बाढ खण्ड, गोरखपुर	गण्डक बाढ़ मण्डल, गोरखपुर	गण्डक	जनपद गोरखपुर में गुर्रा नदी के दायें तट पर स्थित इटौवा तटबंध के किमी0 0.000 से किमी0 10.100 के मध्य तटबंध के पुर्नस्थापना के कार्य की परियोजना।	458.14	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-96	151.00
2	सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर	गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती	गण्डक	जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित बांसी-बनकटा तटबंध के किमी0 5.700 से 6.350 के मध्य 8 अदद डैम्पनर का निर्माण एवं परक्यूपाइन लगाने के कार्य की परियोजना।	428.54	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-192	141.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर, सीतापुर	सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर	शारदा	जनपद सीतापुर में तहसील बिसवाँ के अन्तर्गत शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम-पासिनपुरवा, म्योड़ी छोलहा, भदिमनपुरवा, ढ़ोसेपुरवा व अन्य की शारदा नदी के कटान से सुरक्षा हेतु स्टड निर्माण की परियोजना के क्षतिग्रस्त भाग की पुर्नस्थापना का कार्य।	406.47	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-236	135.49
4	सिंचाई खण्ड, उन्नाव	षष्टम मण्डल, सिंचाई कार्य लखनऊ	शारदा	जनपद उन्नाव के अंतर्गत बागरमऊ तहसील में गंगा नदी के बाँए किनारे पर स्थित संवेदनशील ग्राम कुशालपुरवा में कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	523.71	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-257	174.57
5	सिंचाई खण्ड, उन्नाव	षष्टम मण्डल, सिंचाई कार्य लखनऊ	शारदा	जनपद उन्नाव के अंतर्गत बागरमऊ तहसील में गंगा नदी के किनारे पर स्थित संवेदनशील ग्राम समूह हरिगंज, धन्नापुरवा एवं अहिरनपुरवा में कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	550.95	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-255	183.65
6	सिंचाई खण्ड शारदानगर, लखीमपुर-खीरी	द्वाद्शम मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ	शारदा सहायक	जनपद-लखीमपुर-खीरी में स्थित कौडियाला नदी पर ग्राम जसनगर के पास गिरिजा बैराज के दायें अफलक्स बांध को बचाने हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	489.92	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-62	160.00
7	बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी	एकादशम् मण्डल सिंचाई कार्य, अयोध्या	शारदा सहायक	जनपद-बाराबंकी में सरयू/घाघरा नदी के दायें तट पर चहलारीघाट-गणेशपुर तटबंध के समीप स्थित ग्राम समूहों बबुरी, केदारीपुर, बेलहरी व अन्य की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना।	927.89	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-47	280.00
8	बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी	एकादशम् मण्डल सिंचाई कार्य, अयोध्या	शारदा सहायक	जनपद-सीतापुर में सरयू/घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित चहलारीघाट-गनेशपुर तटबंध के किमी0 5.400 से किमी0 11.000 के मध्य ब्रिक सोलिंग तथा टर्निंग प्लेटफार्म के निर्माण कार्य की परियोजना।	264.57	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-44	26.00
9	बाढ़ खण्ड, बरेली	बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली	पूर्वीगंगा	जनपद बरेली में किच्छा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम कंचनपुर, मधुकरपुर एवं मवई आदि ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटान निराधक कार्य की परियोजना।	423.36	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-286	141.11
10	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली	पूर्वीगंगा	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित चन्दनपुर-हुसैनपुर तटबन्ध के किमी0 3.650 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्टड को T-Headed स्पर में पुनर्स्थापित करने के कार्य की परियोजना।	316.39	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-292	105.45
11	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली	पूर्वीगंगा	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित सत् गुरू मंदिर के निकट गंगा महावा तटबन्ध के किमी0 18.005 से किमी0 18.525 के मध्य बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना।	561.37	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-295	187.10
12	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली	पूर्वीगंगा	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम समूह जटा, ठकुरी नगला आदि के समीप क्षतिग्रस्त स्टडों एवं एप्रन के पुनरोद्धार के कार्य की परियोजना।	363.38	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-298	121.12
13	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली	पूर्वीगंगा	जनपद बदायूं में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित उसहैत तटबंध के किमी0 8.000 से किमी0 17.000 तक पुर्नरूद्धार के कार्य की परियोजना।	496.11	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-299	165.35
14	सिंचाई खण्ड फर्रूखाबाद	द्वितीय मण्डल सिंचा ई कार्य कानपुर	रामगंगा	जनपद फर्रूखाबाद में गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित ग्राम नगला खेम रैगई के बचाव हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना	788.45	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-67	262.00
15	सिंचाई खण्ड फर्रूखाबाद	द्वितीय मण्डल सिंचा ई कार्य कानपुर	रामगंगा	जनपद फर्रूखाबाद में रामगंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित कोलासोता ग्राम समूह की रामगंगा नदी के कटान से सुरक्षा हेतु परकोपाइन एवं स्टड द्वारा कटाव निरोधक कार्य की परियोजना	405.00	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-68	135.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

16	सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी	सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी	सोन	जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां में गंगा नदी के दांये तट पर स्थित जीवपुर-रघुनाथपुर ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु 200 मीटर की लम्बाई में जियो बैग कटर लगाने की परियोजना।	369.12	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-319	100.00
17	बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी	सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी	सोन	जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद के अन्तर्गत गंगा नदी के दांये तट पर स्थित ग्राम कुण्डाकला एवं कुण्डा खुर्द की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्यो की परियोजना।	831.09	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-336	274.25
18	बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी	सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी	सोन	जनपद वाराणसी में सदर तहसील के अन्तर्गत गंगा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम समूह कुकुढ़ा, एवं अमवा की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	346.70	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-337	115.57
19	बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी	सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी	सोन	जनपद चन्दौली के सकलडीहा तहसील में चहनिया ब्लाक के अन्तर्गत गंगा नदी के दांये तट पर स्थित टांडाकला में हो रहे कटान को रोकने हेतु कटान निरोधक परियोजना।	462.70	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-335	154.23
				योग- 23-24	**9413.86**		**3012.89**
94-4711-03-103-07-24 जलनिकास योजना (नाबार्ड पोषित)							
1	बाढ़ खण्ड, बदॉयू	बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली	पूर्वीगंगा	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम भमरौलिया एवं खागी नगला के निकट गंगा महावा तटबन्ध के किमी0 14.000 से किमी0 15.400 के मध्य बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना।	240.15	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-297	50.00
2	बाढ़ खण्ड, बदॉयू	बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली	पूर्वीगंगा	जनपद बदायूं में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम भुण्डी के समीप उसहैत तटबंध के किमी0 8.500 पर स्पर के निर्माण एवं रिवेटमेन्ट के कार्य की परियोजना।	316.51	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-293	60.00
3	सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर, सीतापुर	सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर	शारदा	जनपद सीतापुर में तहसील लहरपुर के अर्न्तगत शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम देवपालपुर, मौर्यनपुरवा, लोनियनपुरवा व अन्य की शारदा नदी के कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	293.04	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-235	70.00
4	सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी	सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी	सोन	जनपद वाराणसी के तहसील सदर में गंगा नदी के बांये तट पर स्थित मोलनापुर ग्राम की सुरक्षा हेतु 200 मी0 की लम्बाई में कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	326.52	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-321	50.00
5	सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी	सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी	सोन	जनपद गाजीपुर तहसील सेवराईं में गंगा नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम गहमर में पूर्वी एवम् पश्चिमी पम्प कैनाल के पास हो रहे कटान से सुरक्षा हेतु क्रेटेड स्टोन बोल्डर पिंचिंग के कार्य की परियोजना।	317.30	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-323	50.00
6	सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी	सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी	सोन	जनपद गाजीपुर के तहसील सेवराई में कर्मनाशा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम बरेजी में हो रहें कटान से सुरक्षा हेतु क्रेटेड स्टोन बोल्डर पिचिंग कार्य की परियोजना।	291.86	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-325	60.00
7	बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी	एकादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, अयोध्या	शारदा सहायक	जनपद-बाराबंकी में सरयू/घाघरा नदी के दायें तट पर चहलारीघाट-गणेशपुर तटबंध के समीप स्थित ग्राम समूह हेतमापुर धाम, सुन्दर नगर व अन्य की सुरक्षा हेतु परक्यूपाइन स्टड तथा स्क्रीनिंग द्वारा बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना।	209.06	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-48	21.00
8	बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी	एकादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, अयोध्या	शारदा सहायक	जनपद अयोध्या तहसील सोहावल में घाघरा/सरयू नदी के दाहिनें तट पर स्थित इस्माइल नगर सिंहोर, दोस्तपुर रघु, सरजुपुर इत्यादि ग्रामों की कटान से सुरक्षा हेतु जिओ बैग स्टड निर्माण एवं पारक्यूपाइन लगाने की परियोजना।	275.80	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-56	41.37

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9	बाढ़ खण्ड, श्रावस्ती	नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच	सरयू परि0 प्रथम	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध के किमी0 20.810 से किमी0 21.210 तक की सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना।	230.06	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-12	53.52
				योग- 07-24	**2500.30**		**455.89**
				महायोग	**11914.16**		**3468.78**

(रूपये चौंतीस करोड़ अड़सठ लाख अठहत्तर हजार मात्र)

<u>नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों</u>

3- **उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएः-**

(1) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन के सम्बन्धित अनुभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए। इन परियोजनाओं पर किसी अन्य मद से यदि धनराशि प्राप्त हुई हो तो उसका समायोजन कर लिया जाएगा तथा स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा।

(6) निर्माण कार्यो पर व्यय करने के पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जायेगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जाएगी।

(7) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समकक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(8) वित्त विभाग के सी0सी0एल0 संबंधी आदेशों को संज्ञान में लेते हुए अवमुक्त धनराशि के व्यय का माहवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए, जिसमें यथा सम्भव समानुपातिक आधार पर व्यय की व्यवस्था हो। तद्नुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। परियोजनाओं की लागत में टाईम ओवर रन/कास्टओवर रन विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(9) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-2 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए।

(10) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(12) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार समानुपातिक किश्तों में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/पीएलए/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाए।

(13) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 तथा श्रम अनु0-2 के शासनादेश सं0-1666/36-2-2010, दि0 05.12.2010 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तो के अन्तर्गत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय को आगणन में सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को जोड़कर संबंधित लेखाशीर्षकों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(14) कार्य की विशिष्टियॉ मानक/गुणवत्ता तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा हो।

(15) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा समक्ष स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(17) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(19) विभागीय तकनीकी समिति की बैठक में लगायी गयी शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा ।

(20) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।

(21) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(22) प्रमुख अभियन्ता सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को धनराशि आवंटित करेंगे। किसी भी दशा में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।

(23) प्रमुख अभियन्ता आवंटित धनराशि की सूचना 10 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे।

(24) प्रमुख अभियन्ता द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(25) प्रमुख अभियन्ता द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि अध्याप्ति हेतु अनुमोदित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

(26) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(27) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना का बार चार्ट तथा पाई चार्ट तैयार कराएंगे तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का माहवार चार्ट बनाकर विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(28) प्रमुख अभियन्ता नाबार्ड की शर्तों तथा योजना की गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(29) संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा यह स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय कर लिए जाने के उपरान्त 15 दिन के अन्दर प्रतिपूर्ति दावा नाबार्ड को प्रस्तुत कर दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(30) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(31) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2023, दिनांक 04.03.2024 तथा यथा संशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्याः-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(32) ड्रेजिंग से सम्बन्धित परियोजनाओं में एन0एम0सी0जी0 की गाइडलाईंस एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(33) परियोजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की 59वीं बैठक दिनांक 07.01.2025 के कार्यवृत्त में दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्रमुखअभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

4 - इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-23-नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य (तालिका क्रमांक-1 से 19 तक की परियोजनाओं पर रुपये 30,12,89,000.00 के एवं लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास-103-सिविल निर्माण कार्य-07-जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य (तालिका के क्रमांक-1 से 9 तक की परियोजनाओं पर रुपये 4,55,89,000.00 के नामे डाला जाएगा (दोनों मदों का योग रुपये 34,68,78,000.00) है।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 30,12,89,000.00 (रूपये तीस करोड़ बारह लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4711011032300 नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 4,55,89,000.00 (रूपये चार करोड़ पचपन लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4711031030700 जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-924-X-2024-25-दिनांक: 19.03.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) उप-महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 11 विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0(बाढ़) , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(10) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(11) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(12) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(13) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(14) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in